

प्रेषितः श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ़

महोदय, पालने
निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री इन्द्रा पिता शान्तिशाल
रोलाहेड़ा प.ह. रोलाहेड़ा के राजस्व ग्राम रोलाहेड़ा में जमाबन्दी संवत् 2078-81
की खाता संख्या 347 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम इन्द्रा पालने शान्ति किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम इन्द्रा पालने शान्ति को अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियाँ (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से सर्वाधिक जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ़

निमित्तः पटवार हल्का रोलाहेड़ा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने कावत।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री इन्द्रा पिता शान्तिशाल
राजस्व ग्राम रोलाहेड़ा प.ह. रोलाहेड़ा की खाता संख्या 347
जाति/नाम इन्द्रा पालने दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति इन्द्रा पालने शान्ति
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ़ द्वारा भी जाति
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।
अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री इन्द्रा पालने शान्तिशाल
जाति/नाम इन्द्रा पालने शान्तिशाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित
करने की रक्रीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. रोलाहेड़ा राजस्व रि.
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़
उपखण्ड अधिकारी
जिला
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ़ पालना सुनिश्चित करे।